

नम्बर व तारीख
इस हुक्म की
जारी हुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
12.01.2024	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड खालेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं। विप्रार्थी संख्या 2 के खेत प्रार्थीगण की खालेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खालेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थीगण अपनी खालेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिलोर तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 253 व 643/255 रकबा कमशः 18.04 व 17.16 बीघा भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

3

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांक: वाद/2024/99

दिनांक : 19-01-24

प्रार्थीगण
उषाकंवर पत्नी सवाईसिंह वगैरा

बनाम

विप्रार्थीगण
तहसीलदार समदड़ी वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं:-41/2020

दिनांक:-12.01.2024

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सिलोर तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 253 व 643/255 रकबा क्रमशः 18.04 व 17.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/-प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)

क्रमांक: वाद/2024/100-103

दिनांक : 19-01-24

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी सिलोर को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्रीमती उषाकंवर पत्नी सवाईसिंह जाति पुरोहित निवासी सिलोर तहसील समदड़ी जिला बालोतरा वगैरा को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)